भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5157

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

ऑनलाइन जुआ विज्ञापनों का विनियमन

5157. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म की बढ़ती उपस्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान ऑनलाइन जुआ विज्ञापनों के लिए कुल कितनी साइटें/सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए; और

(घ) क्या सरकार ने ऑनलाइन जुआ विज्ञापनों पर नज़र रखने और उन्हें हटाने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): राज्य सरकारों की जिम्मेदारी:

• सट्टा और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत आते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा प्रयास:

• ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, सरकार ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर एंडोर्सर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनके सरोगेट उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के लिए कई एडवाईजरी जारी की हैं।

• ये एडवाईजरी मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.mib.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

• इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) में उपयुक्त सरकारों द्वारा गैरकानूनी कृत्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान किया गया है।

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों को उन पोस्ट, लिंक आदि तक पहुंच हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करता है, जहां ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के विज्ञापन और ब्रांडेड सामग्री प्रकाशित की जा रही है।

*****